-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 14.11.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सम्बन्धी अपराधों के मामलों में की जा रही कार्यवाही के क्रम में त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2023 में थाना अतर्रा क्षेत्र के ग्राम बल्लान में पत्नी की हत्या करने वाले पति को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई आजीवन सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** व **मिशन शक्ति अभियान** के तहत महिला सम्बन्धी अपराधों के मामले में अभियुक्तों को कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2023 में थाना अतर्रा क्षेत्र के ग्राम बल्लान में पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 10.06.2023 को थाना अतर्रा क्षेत्र के ग्राम बल्लान के रहने वाले शिववरन पुत्र सूरजबली ने थाना अतर्रा पर सूचना दी की किसी बात को लेकर उसके पिता सूरजबली व उसकी माँ मीरा के बीच विवाद होने पर उसके पिता द्वारा सांग से मारकर उसकी माँ की हत्या कर दी। जिसके सम्बन्ध में थाना अतर्रा में मु0अ0सं0 176/23 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष अतर्रा श्री अरविन्द कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक श्री सुशील कुमार तिवारी द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी देवेन्द्र सिंह तथा पैरोकार आरक्षी पुष्पेन्द्र यादव के अथक प्रयासों से अभियुक्त(मृतका के पति) को मा0 न्यायालय ADJ-I बांदा द्वारा आजीवन सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. **सूरजबली पुत्र चुन्ना निवासी बल्लान थाना अतर्रा जनपद बांदा।**